

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम-

जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इंटर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है० सिविल/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग उड़ामाण्डा-रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 23.00 (है० 6-8) से प्रारम्भ होकर ग्राम विरसण-सेरा तक प्रस्तावित है। इस मार्ग से ग्राम मज्याडी व विरसण-सेरा लाभान्वित होंगे, जिससे कि ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी लकड़ी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाएंगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

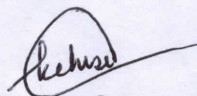
समरेखण-1

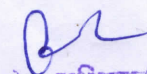
यह मोटर मार्ग उड़ामाण्डा-रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 23.00 (है० 6-8) से प्रारम्भ होकर ग्राम विरसण-सेरा तक प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रीय जनता की सहमति है तथा भू-गर्भवेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में 4 हेयरपिन बैण्ड पड़ते हैं तथा 63 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण-2

यह मोटर मार्ग उड़ामाण्डा-रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 23.00 (है० 6-8) से प्रारम्भ होकर ग्राम विरसण-सेरा तक प्रस्तावित है। इस समरेखण से क्षेत्रीय जानता भी सहमत नहीं हैं एवं भू-गर्भवेता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में 7 हेयरपिन बैण्ड पड़ते हैं तथा 97 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु समरेखण न०-1 उपर्युक्त हैं।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)


वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र नाननाथ


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)


प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।